ICICI Home Finance

निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई–400059, भारत

शाखा कार्यालय : ए–37, ऊपरी भूतल, लाजपत नगर–2, नई दिल्ली–110024

नियम 8(6) का प्रावधान देखें

अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक / प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका अधिग्रहण आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, को नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, "जैसी है जहाँ है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा :

क्र सं	उधारकर्ता (ओं) / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों / कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम / ऋण खाता संख्या	ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई, के साथ प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विवरण	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि जमा	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी तिथि से एक दिवस पूर्व	सरफॉएसि चरण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)
1.	ललिता सिंह (उधारकर्ता) महेंद्र सिंह (सह–उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHNOD00001289314	संपत्ति संख्या 21 और 22 के छताधिकार के साथ केवल तृतीय तल, जो खसरा संख्या 70/14, गांव नरेला, गली संख्या 17–ए, स्वतंत्र नगर, नरेला, दिल्ली– 110041 में स्थित है।	रु. 32,06,574.38/- अगस्त 22, 2024	रु. 25,74,990/- रु. 2,57,499/-	सितम्बर 23, 2024 11:00 से 03:00 बजे	अक्टूबर 01, 2024 02:00 से 03:00 बजे	सितम्बर 30, 2024 को 05:00 बजे से पूर्व	भौतिक अधिग्रहण
2.	सौकत अली (उधारकर्ता) शाहना (सह–उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या : LHGHZ00001531459 और LHGHZ00001531460 और LHGHZ00001550156	स्वामित्वधारक निर्मित ऊपरी भूतल, द्वितीय तल तथा तृतीय तल, संपत्ति संख्या 111–बी, नया नंबर 117–बी, खसरा नंबर 21/4/2, ग्राम ख्याला कॉलोनी जिसे विष्णु गार्डन के नाम से जाना जाता है, जो ब्लॉक एनई, नई दिल्ली में स्थित है।	रु. 44,28,598.5/- अगस्त 22, 2024	रु. 46,83,744/- रु. 4,68,374/–	सितम्बर 23, 2024 11:00 से 03:00 बजे	अक्टूबर 01, 2024 02:00 से 03:00 बजे	सितम्बर 30, 2024 को 05:00 बजे से पूर्व	भौतिक अधिग्रहण

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (URL Link-eauctions.samil.in) पर आयोजित की जाएगी। बंधककर्ताओं/नोटिसकर्ताओं को 30 सितंबर, 2024 को सायंकाल 05:00 बजे से पहले ब्याज सहित कुल बकाया राशि का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, अन्यथा इन सुरक्षित परिसंपत्तियों को उपरोक्त अनुसूची के अनुसार बेच दिया जाएगा।

संभावित बोलीदाता(ओं) को बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ड. देखें) आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर 30 सितंबर, 2024 को अप. 04:00 बजे तक अथवा इससे पहले जमा करनी होगी। संभावित बोलीदाता(ओं) को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम एवं शर्तों की एक हस्ताक्षरित प्रति भी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, उपरोक्त वर्णित शाखा कार्यालय के पते पर 30 सितंबर 2024 को सायं 05.00 बजे तक अथवा इससे पहले अवश्य जमा करानी होगी। बयाना राशि जमा का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड–नीलामी" के पक्ष में नरेला, नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

निरीक्षण, नीलामी के नियमों एवं शर्तों या निविदाओं के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई अन्य कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://www.icicihfc.com** पर जाएँ।

दिनांक : 29 अगस्त 2024
स्थान : नरेला, नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
सीआईएन नंबर– U65922MH1999PLC120106

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः 3/5, ईस्ट पटेल नगर, पटेल रोड, नई दिल्ली–110008

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार एवं गारंटर को मांग सूचना।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार एवं गारंटर का नाम	प्रतिभूत सम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
उधारकर्ता : **श्री नितिन भाटिया** **मकान नंबर ए–191, दूसरी मंजिल, नंद राम पार्क, बिंदापुर उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059** **गारंटर :** **श्री महेश चंद्र** **फ्लैट नंबर जी–1102 सुशांत लोक II सेक्टर–57, गुड़गांव हरियाणा–122003**	**संपत्ति के स्वामी : श्री नितिन भाटिया** **पता : संपत्ति नंबर ए–191, दूसरी मंजिल, खसरा नंबर 171 में से, गांव बिंदापुर, कॉलोनी जिसे नंद राम पार्क के नाम से जाना जाता है, जो ब्लॉक ए, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित है।** **बिक्री विलेख के अनुसार संपत्ति की सीमाएँ :** **पूर्व : संपत्ति संख्या ए–190** **पश्चिम : प्लॉट संख्या 191 का भाग** **उत्तर : सड़क 10 फुट** **दक्षिण : प्लॉट संख्या 191 का भाग**	**सूचना : 26/08/2024** **एनपीए : 20/08/2024** **रू. 12,88,716/–** **(रूपये बारह लाख अट्ठासी हजार सात सौ सोलह मात्र) अनुसूची ए में उल्लिखित लागू ब्याज दर पर भावी ब्याज, जो राशि पर सूचना की तिथि 26.08.2024 से पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक नियत आकस्मिक व्ययों, शुल्कों और लागतों, इत्यादि सहित है।**

कर्जदार का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांकः 26/08/2024
स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली

यूनियन बैंक Union Bank

अंचल कार्यालय, दिल्ली,
1, फैज रोड, झण्डेवालान,
नई दिल्ली–110005 ईमेल:
cb8821rec@unionbankofindia.bank

सम्पत्ति की ई–नीलामी के लिये हमारी बिक्री सूचना 30.7.2024 को प्रकाशित हुई

शुद्धिपत्र

नीचे दी गई सम्पत्तियों की बिक्री के लिये 29.8.2024 को निर्धारित नीलामी एतद्द्वारा 13.9.2024 तक स्थगित कर दी गई है तथा अन्य नियम एवं शर्तें 30.7.2024 को प्रकाशित बिक्री सूचना के अनुसार पूर्ववत रहेंगे।

1. छत के अधिकार के साथ 3रा तल, प्लॉट नं. आरजेड–टी–2/ए, ख.नं. 16/14, नंदा ब्लॉक, ग्राम मिर्जापुर, महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली–110045, सम्पत्ति का एरिया 42 वर्ग मी., चौहद्दीः उत्तरः रोड–20 फीट, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः 10 फीट गली
2. आवासीय सम्पत्तिः फ्लैट नं. जीएफ–2, भूतल, प्लॉट नं. ए–6–4ए, डीएलएफ कॉलोनी, अंकुर विहार, लोनी तहसील, जिला गाजियाबाद, उ.प्र., एरिया–83.61 वर्ग मी. अथवा 900 वर्ग फीट।
3. शॉप नं. 23, दूसरा तल, शिल्पी आर्केड, प्लॉट नं. 14, सेक्टर–04, कॉमर्शियल मार्केट, वैशाली, गाजियाबाद, उ.प्र., एरिया 19 वर्ग मी.

तिथिः 29.08.2024
स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

गॉडविन पब्लिक स्कूल (M0816),, मेरठ

कब्जा सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, गॉडविन पब्लिक स्कूल, मेरठ, यू.पी.** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर श्री प्रदीप कुमार पुत्र नारायण शर्मा,** निवासी मकान नं. 177 सूर्या कॉलोनी रोहता रोड, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 (उधारकर्ता), श्रीमती बबीता शर्मा पत्नी श्री प्रदीप कुमार शर्मा, निवासी मकान नं. 12, रोहता रोड गोकुल विहार, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002 (सह–उधारकर्ता), श्री नारायण देव शर्मा पुत्र काली चरण शर्मा, निवासी मकान नंबर 177/1, सूर्या कॉलोनी रोहता रोड अनूप नगर फजलपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 (गारंटर/बंधककर्ता), श्रीमती कमलेश पत्नी नारायण शर्मा, निवासी मकान नं. 177, सूर्या कॉलोनी रोहटा रोड मेरठ यूपी–250001 (गारंटर/बंधककर्ता), श्री जितेंद्र कुमार पुत्र श्री कबूल सिंह, निवासी 29 गगन एन्क्लेव रोहटा रोड मेरठ यूपी–250001 (गारंटर) **को मांग नोटिस दिनांक 05-06-2024 को जारी किया था, जिसमें सूचना में बकाया राशि रू. 10,14,263.65 (रु. दस लाख चौदह हजार दो सौ तिरेसठ और पैसे पैंसठ मात्र) दिनांक 31.05.2024 तक ब्याज और दिनांक 01.06.2024 से ब्याज एवं आकिस्मक खर्चे एवं प्रभार इत्यादि सहित** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का **कब्जा दिनांक 23.08.2024** को ले लिया है।

उधारकर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, गॉडविन पब्लिक स्कूल, मेरठ, यू.पी. के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. रू. 10,14,263.65 (रु. दस लाख चौदह हजार दो सौ तिरेसठ और पैसे पैंसठ मात्र) दिनांक 31.05.2024 तक ब्याज और दिनांक 01.06.2024 से ब्याज एवं बैंक द्वारा अर्जित आकिस्मक खर्चे इत्यादि सहित के अधीन होगा।**

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अचल रिहायशी संपत्ति क्षेत्रफल 50.16 वर्ग मी., खसरा सं. 19/2, 20, 22, 23 और 26 से संबंधित, गोकुल विहार रेवेन्यू ग्राम औरंगशाहपुर गोलाबढ़ मेरठ में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती कमलेश पत्नी नारायण शर्मा और श्री नारायण देव शर्मा पुत्र काली चरण शर्मा की है।

शीर्षक विलेख(ओं) का विवरणः 1) मूल बिक्री विलेख उप पंजीयक मेरठ III के कार्यालय में बही सं. 1, जिल्द सं. 6961, पृष्ठ 295 से 316, एसएल सं. 9285 के अनुसार 16–07–2011 को पंजीकृत

संपत्ति की चौहद्दीः उत्तर में – 30 फीट उसके बाद मालिक का शेष भाग, दक्षिण में – 30 फीट उसके बाद रास्ता 40 फीट चौड़ा, पूरब में – 18 फीट उसके बाद रास्ता 20 फीट चौड़ा, पश्चिम में – 18 फीट उसके बाद श्रीमती कविता देवी का प्लॉट

दिनांक 23.08.2024, स्थान : मेरठ
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank

दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा नई दिल्ली
प्रथम तल, 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
ई–मेल : armbdelhi@indianbank.co.in, samlb.newdelhi@gmail.com

संदर्भ : SAM/ Delhi/WD Order/2024-25/250 दिनांक : 14.08.2024

विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय/आदेशों को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के बारे में कर्जदार को सूचित करने वाला पत्र

सेवा में
1. मैसर्स मेटलमाइन एंटरप्राइजेज (कर्जदार फर्म), 5288, प्रथम तल, थाना रोड, सदर बाजार, नई दिल्ली–110006
2. श्री देवेंद्र रस्तोगी (प्रोपराइटर)
मकान नंबर 86, जागृति एन्क्लेव, विकास मार्ग एक्सटेंशन नंबर 2, दिल्ली–110092 (मोबाइल नंबर 9873059090, 9899040718)
प्रिय श्रीमान,

विषय : मेसर्स मेटलमाइन एंटरप्राइजेज सैम लार्ज दिल्ली शाखा के साथ – इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करते हुए – कारण बताओ सूचना

प्रिय श्रीमान,

मेसर्स मेटलमाइन एंटरप्राइजेज ने हमारी लाजपत नगर शाखा से रु. 1,15,00,000.00 (रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख मात्र) की नकद ऋण सुविधा का लाभ उठाया है। खाता 30/09/2015 को एनपीए में बदल गया। 05.06.2024 तक कुल बकाया राशि 1.10 करोड़ रुपये है। कर्जदार द्वारा की गयी चूक को देखते हुए, आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कर्जदार फर्म और उसके प्रोपराइटरों की ओर से इरादतन चूक का पता लगाने के उद्देश्य से 10.08.2023 को विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी (डब्ल्यूडीएससी) द्वारा मामले की जांच की गई। समिति ने प्रथम दृष्टया पाया कि अनियमितताएं/चूक इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदंडों को पूरा करती हैं और तदनुसार कर्जदार फर्म मेसर्स मेटलमाइन एंटरप्राइजेज और उसके प्रोपराइटर देवेंद्र रस्तोगी को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने को मंजूरी दी।

इरादतन चूक के आधार की विधिवत जानकारी देते हुए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) कर्जदार फर्म मेसर्स मेटलमाइन एंटरप्राइजेज और उसके प्रोपराइटर देवेंद्र रस्तोगी को दिनांक 18.08.2023 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें पूछा गया था कि इरादतन चूक के निम्नलिखित आधारों/आरोपों को निर्दिष्ट करके उन्हें 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत क्यों न किया जाए।

इरादतन चूक के आधार

इकाई/कंपनी की कार्रवाई, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषणा के लिए निर्धारित चार कार्रवाइयों में से एक है	कारण और साक्ष्य जो इकाई/कंपनी की कार्रवाई को साबित करते हैं और इरादतन चूककर्ता घोषित करने के औचित्य का भी समर्थन करते हैं
धारा 2.1.3 (सी) – निधियों की साइफनिंगः इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान / पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है और निधियों की साइफनिंग की है, जिससे निधियों का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए वित्त का लाभ उठाया गया था, और न ही इकाई के पास अन्य परिसंपत्तियों के रूप में निधियाँ उपलब्ध हैं।	✓ एफजीएमओ नई दिल्ली के अनुसार धोखाधड़ी नोट दिनांक 12.07.2021 के अनुसार निम्नलिखित अनियमितता पाई गईः ✓ ऋणी को दिनांक 26.12.2009 के स्वीकृति पत्र के माध्यम से 1.15 करोड़ रुपये की सीसी सीमा मंजूर की गई थी। ✓ चार संपत्तियों को कोलैटरल के रूप में लिया गया था। हालांकि, जब खाता एनपीए हो गया, तो भौतिक कब्जा लेते समय पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा, पहाड़गंज ने पहले ही संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। ✓ हमारे पैनलीकृत अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 09.01.2019 के माध्यम से राय दी है कि उप–पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत बिक्री देवेंद्र रस्तोगी के नाम पर है, लेकिन विक्रेता, क्रेता, गवाह और उप–पंजीयक के हस्ताक्षर मूल से मेल नहीं खाते हैं। ✓ उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कर्जदार द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके धोखाधड़ी की गई है। ✓ इस प्रकार, जिन उद्देश्यों के लिए ऋण स्वीकृत किया गया था, उनके अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धनराशि की साइफनिंग की गयी।

कारण बताओ नोटिस जारी करना और उसका जवाबः

उक्त कर्जदार फर्म और उसके प्रोपराइटर को दिनांक 18.08.2023 के पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था और अनडिलीवर्ड वापस कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने 01.10.2023 को 2 समाचार पत्रों अर्थात फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में कारण बताओ नोटिस प्रकाशित किया है। कारण बताओ नोटिस के जवाब में जारी किए गए एससीएन के खिलाफ कर्जदार से कोई जवाब नहीं मिला। चूंकि उनसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देने का सवाल ही नहीं उठता।

विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 25.06.2024 को आयोजित की गईः

कर्जदार फर्म और उसके प्रोपराइटर को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के बैंक के आरोप/आरोप के समर्थन में विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी (डब्ल्यूडीएससी) के समक्ष रखे गए तथ्यों और साक्ष्यों का अध्ययन, विश्लेषण और जांच की गई।

विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी ने दर्ज किया कि 18.08.2023 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) कर्जदार फर्म मेसर्स मेटलमाइन एंटरप्राइजेज और उसके प्रोपराइटर देवेंद्र रस्तोगी को एसएएम दिल्ली द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से जारी किया गया था। उक्त नोटिस कर्जदार को नहीं दिया गया था और इसे 01.10.2023 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता नामक दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। 15 दिनों का समय बीत जाने के बाद भी उन्हें दिए गए एससीएन के खिलाफ कोई जवाब नहीं मिला है, यह दर्शाता है कि वे उन्हें इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने के इच्छुक नहीं हैं और यह कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों को स्वीकार करने के समान है। चूंकि कर्जदार फर्म और उसके प्रोपराइटर ने कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया अतः व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।

इसके बाद, उचित विचार–विमर्श और अभिलेखों को देखने के बाद, विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से एक आदेश पारित किया है, जिसमें आरबीआई के दिनांक 01.07.2015 के इरादतन चूककर्ता पर मास्टर सर्कुलर के खंड 2.1.3 (सी) के अनुसार, कर्जदार फर्म मेसर्स मेटलमाइन एंटरप्राइजेज और उसके प्रोपराइटर देवेंद्र रस्तोगी को निधि की साइफनिंग के लिए इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, हम आपको डब्ल्यूडीएससी द्वारा आप सभी को 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय से अवगत कराते हैं।

यदि कर्जदार फर्म और उसके मालिक इस आदेश से व्यथित हैं, तो वे इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर बैंक के एमडी और सीईओ की अध्यक्षता वाली विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी (डब्ल्यूडीआरसी) के समक्ष लिखित रूप में अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं।

आपका
शाखा प्रबंधक
विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

यूनियन बैंक लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, सरकारी इंटर कॉलेज के सामने, बेगम ब्रिज रोड मेरठ 250 001 (उ.प्र.)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जन सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से यूनियन बैंक के निम्नलिखित बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ है वही है" आधार पर 13.09.2024 को की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे उल्लिखित है :

क्र. सं.	शाखा का नाम तथा पता	कर्जदार तथा जमानतियों का नाम	नीलामी पर रखी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	रचनात्मक अथवा भौतिक कब्जा	कर्जदार/गारंटर से वसूली योग्य बकाया (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.) ईएमडी बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि तथा समय
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुरादाबाद शाखा ई- एबी स्टेशन रोड मोरादाबाद, जिला मोरादाबाद, उत्तर प्रदेश 244001 मो.:9412270110	श्री अमर कुमार शर्मा पुत्र सुशील कुमार शर्मा (कर्जदार), पताः मकान नं. 305ए/15 इंद्रा कॉलोनी डेहरी मुस्तकम, हनुमान मूर्ति के सामने, मुरादाबाद यूपी 244001 श्री चंचल शर्मा पत्नी सुशील कुमार शर्मा (सह-कर्जदार), पताः मकान नं. 305ए/15 इंद्रा कॉलोनी डेहरी मुस्तकम सामने हनुमान मूर्ति, मुरादाबाद यूपी 244001 श्री समीर कुमार सिंह पुत्र अनिल कुमार (गारंटर), पताः एफ ब्लॉक काशीराम नगर, प्रेम सैनी सीमेंट स्टोर, पुलिस चौकी के पास मुरादाबाद उ.प्र.-244001	आवासीय मकान नं.-305 ए/15 इंदिरा कॉलोनी, मोहल्ला देहरी मुस्तकम, सामने हनुमान मूर्ति, तहसील सदर, जिला मुरादाबाद यूपी-224401 माप 110 वर्ग मीटर, मालिक- चंचल शर्मा पत्नी श्री सुशील कुमार शर्मा एवं अमर कुमार शर्मा पुत्र स्व. सुशील कुमार शर्मा, सीमाएंः पूर्वः पितामह महेंद्र सिंह यादव; पश्चिमः रास्ता 8' चौड़ा; उत्तरः पति राम कुमार और वीरेंद्र कुमार; दक्षिणः पति ओम प्रकाश सक्सेना	रचनात्मक कब्जा	कुल (आरएल +डीएल): रु. 1583581.55 लाख तिथि 30.06.2024 तक तथा अन्य व्यय	रु. 20.25 लाख रु. 2,02,500/– रु. 20,000/	13.09.2024 को 12.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. के बीच
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसटीबी हापुड शाखा, मंडी पाटिया हापुड जिला हापुड, उत्तर प्रदेश -245101 मोबाइल नंबर 8291220220	श्री राजकुमार उर्फ बिल्ला पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह (कर्जदार) पताः मकान नं. 1748, पंचायत घर वाली गली, लज्जापुरी, दिल्ली रोड, जिला हापुड़। इसके अलावाः खसरा नंबर 225 का हिस्सा, मौहल्ला गणेशपुरा गली नं. 11, लज्जापुरी चामरी जिला हापुड, श्री सोनू कुमार पुत्र स्व श्री राजकुमार (कर्जदार) पताः म.नं. 1748, पंचायत घर वाली गली, लज्जापुरी दिल्ली रोड, जिला हापुड़। इसके अलावाः खसरा नंबर 225 का हिस्सा, मौहल्ला गणेशपुरा गली नं. 11, लज्जापुरी चामरी जिला हापुड, श्री मनीष कुमार पुत्र श्री बाबूराम (गारंटर) पता मकान नं. 1751, मंदिर वाली गली, लज्जापुरी, दिल्ली रोड, जिला हापुड़	आवासीय संपत्ति खसरा नंबर 225 का हिस्सा, मौहल्ला गणेशपुरा, गली नं. 11, लज्जापुरी चामरी, जिला हापुड़, माप 60.50 वर्ग मीटर, श्री राजकुमार पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह के नाम पर। पूर्व- 8 फीट चौड़ी सड़क फिर चरण सिंह का घर, पश्चिम- दूसरों का घर, उत्तर- श्री सतपाल का घर, दक्षिण- श्री राजेंद्र का घर	रचनात्मक कब्जा	कुल (आरएल+डीएल): रु. 19.70 लाख + 30.06.2024 तक ब्याज एवं अन्य प्रभार	रु. 13.68 लाख रु. 1,36,800/– रु. 13,000/	13.09.2024 को 12.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. के बीच
3.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीतल बस्ती शाखा, फ्लेवर रेस्तरां के पास 24 मीटर रोड, राम गंगा विहार फेज 2 मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश -244001, मोबाइल नं. 8291220220	श्री शिव राम सिंह पुत्र कर्ण सिंह पता : 339/ई डबल स्टोरी, रेलवे हरथला कॉलोनी मुरादाबाद-244001 श्रीमती प्रेम लता पत्नी श्री शिव राम सिंह पताः 339/ई डबल स्टोरी, रेलवे हरथला कॉलोनी मुरादाबाद-244001 साथ हीः गाटा नंबर -237 में आवासीय खुला भूखंड, भोगपुर मिथोनी उर्फ. शिरिकोइ, मोहल्ला पटेल नगर शिव मंदिर के पास मुरादाबाद - 244001 श्री हरि ओम सिंह पुत्र श्योराज सिंह पता : हरथला रेलवे कॉलोनी, चंदर नगर मुरादाबाद -244001	गाटा संख्या -237 में आवासीय खुला प्लॉट, भोगपुर मिथोनी उर्फ शिरिकोई, मोहल्ला पटेल नगर शिव मंदिर के पास, चंदर नगर रोड मुरादाबाद -244001 क्षेत्रः 40.61 वर्ग मीटर मालिक-प्रेमलता पत्नी शिवराम सिंह पूर्वः रास्ता 4.10 मीटर चौड़ा पश्चिम : विवेकानंद की संपत्ति उत्तर : विजेंद्र सिंह की संपत्ति दक्षिण : सूरज और चंचल की संपत्ति	रचनात्मक कब्जा	कुल (आरएल +डीएल): रु. 7,42,124/– तिथि 30.06.2024 तक तथा अन्य व्यय	रु. 4,20,000/– रु. 42,000/– रु. 10,000/	13.09.2024 को 12.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. के बीच
4.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसटीबी हापुड शाखा, मंडी पाटिया हापुड जिला हापुड, उत्तर प्रदेश -245101 मोबाइल 8291220220	श्री सुशील त्यागी पुत्र श्री भागवत प्रसाद (कर्जदार) पताः 1) मकान नंबर 461/14, कृष्णा नगर, जिला हापुड-245101, 2) प्लॉट नंबर 17 पर घर, खसरा नंबर 454 का भाग, ग्राम - दोयमी मोहल्ला प्रभा विहार सामने पीएस गार्डन स्वर्ग आश्रम रोड हापुड जिला हापुड, एनए 1. श्री राकेश पुत्र श्री वेदप्रकाश (गारंटर) पता मकान नं. 323/12 डी, देवलोक कॉलोनी स्वर्ग आश्रम रोड जिला हापुड-245101	प्लॉट नं. 17 पर मकान, खसरा नंबर 454 का भाग, ग्राम-दोयमी मोहल्ला प्रभा विहार सामने पीएस गार्डन स्वर्ग आश्रम रोड हापुड जिला हापुड, क्षेत्रफल 83.64 वर्ग मीटर, श्री सुशील त्यागी पुत्र भागवत प्रसाद के नाम पर। पूर्व : प्लॉट नं. 18, पश्चिम-प्लॉट नं. 16, उत्तर-अन्य का भूखंड, दक्षिण- रास्ता	रचनात्मक कब्जा	कुल (आरएल +डीएल): रु. 1219445.84/– तिथि 30.06.2024 तक तथा अन्य व्यय	रु. 17.82 लाख रु. 1,78,200/– रु. 17,000/	13.09.2024 को 12.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. के बीच
5.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीतल बस्ती शाखा, फ्लेवर रेस्तरां के पास 24 मीटर रोड, राम गंगा विहार फेज 2 मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश -244001 मोबाइल नं. 8291220220	श्री विजेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्र सेन पता : नया गांव गली नंबर- 5, पवन की कोठी के पास मुरादाबाद - 244001 साथ हीः खसरा नंबर - 120 में दो मंजिला मकान, पुराना आर.टी.ओ. (गौतम नगर), डायमंड स्कूल के पास, मोजा मुकर्रबपुर, मुरादाबाद श्री मुकेश कुमार पुत्र रमेश चंद्र मकान नंबर-ई-36, दीन दयाल नगर एमडीए मुरादाबाद-244001	खसरा नंबर- 120 में दो मंजिला मकान, पुराना आर.टी.ओ. (गौतम नगर), डायमंड स्कूल के पास, मोजा मुकर्रबपुर, मुरादाबाद क्षेत्रः 106.43 वर्ग मीटर मालिक का नाम-विजेंद्र सिंह पुत्र चंदर सिंह सीमाएंः पूर्व- बलबीर सिंह का मकान पश्चिम : चंदर सैन का घर उत्तर- विक्रम सिंह का घर दक्षिण- सड़क 8 फुट चौड़ी	रचनात्मक कब्जा	कुल (आरएल +डीएल): रु. 284134.21 तिथि 30.06.2024 तक तथा अन्य व्यय	रु. 18,32,000/– रु. 1,83,200/– रु. 18,000/	13.09.2024 को 12.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. के बीच
6.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसटीबी हापुड़ शाखा मंडी पाटिया हापुड़ जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश -245101 मो.: 8291220220	श्री अफसर अहमद पुत्र इस्लाम प्लॉट नं. 19(उत्तरी भाग), खसरा नं. 623 मिन का भाग, 617 मिन, 618 मिन, 619 मिन, 621 मिन, 622 मिन, मोहल्ला मजीदपुरा, गली नं. 9, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के पास, बुलन्दशहर रोड, परगना तहसील एवं जिला हापुड़, इसके अलावाः मकान नंबर 2073/45, शिव दयाल पुरा, हापुड एनए एनए	प्लॉट नंबर 19 (उत्तरी भाग), खसरा नंबर 623 मिन, 617 मिन, 618 मिन, 619 मिन, 621 मिन, 622 मिन का हिस्सा, मोहल्ला मजीदपुरा गली नंबर 9, मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के पास, बुलंदशहर रोड, परगना तहसील और जिला हापुड़ में आवासीय मकान, जिसका क्षेत्रफल 75.27 वर्ग मीटर है, श्री अफसर अहमद पुत्र श्री इस्लाम के नाम पर। सीमाः पूर्वः रास्ता 20' चौड़ा, पश्चिमः अन्य का प्लॉट, उत्तरः अन्य का प्लॉट दक्षिणः रईस अहमद का घर	रचनात्मक कब्जा	कुल (आरएल +डीएल): रु. 10.02 लाख + तिथि 30.06.2024 तक तथा अन्य व्यय	रु. 12.78 लाख रु. 1,27,800/– रु. 12,000/	13.09.2024 को 12.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. के बीच

ई–नीलामी की तिथि एवं समय : ई–नीलामी : 13.09.2024 को 12.00 बजे अप. से 5.00 बजे अप

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://ebkray.in** पर दिए गए लिंक को देखें। आगे बोलीदाता पंजीकरण, लॉगिन और बोली नियमों के लिए **https://ebkray.in** देखें।

ध्यान दें: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नीलामी की तारीख से कम से कम 2–3 दिन पहले वेबसाइट/पोर्टल पर केवाईसी को पंजीकृत और मान्य करें और किसी भी असुविधा से बचने के लिए नीलामी की तारीख से 2 दिन पहले ईएमडी जमा करें।

तिथिः 27.08.2024, स्थानः मेरठ
प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन बैंक Indian Bank

ऋणग्रस्त परिसंपत्तियाँ प्रबंधन शाखा नई दिल्ली
प्रथम तल, 17 संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
ई–मेल : armbdelhi@indianbank.co.in, samlb.newdelhi@gmail.com

संदर्भ : एसएएम/दिल्ली/डब्ल्यूडी आदेश/2024–25/249 दिनाँक : 14.08.2024

एसएएम दीर्घ दिल्ली शाखा के साथ अनुरक्षित खाताधारक मैसर्स उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज को कारण बताओ सूचना

प्रति,
1. मैसर्स उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज
डी–11, सेक्टर ए–2, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद, यूपी–201102
2. श्री मनमोहन सिंह (स्वामी)
निवासी : बी–137, गली नंबर 5, बी ब्लॉक, बाबा कॉलोनी, बुराड़ी, दिल्ली–110084
श्रीमान,

विषय : एसएएम दीर्घ दिल्ली शाखा के साथ अनुरक्षित खाताधारक मैसर्स उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज– विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकरण करना– कारण बताओ सूचना

श्रीमान,

हम एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि हमारे बैंक ने दिनाँक 01.07.2015 को विलफुल डिफॉल्टर पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर के अनुसार उधारकर्ता फर्म मैसर्स उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज और इसके स्वामी श्री एस. मनमोहन सिंह को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया है।

विलफुल डिफॉल्टर वर्गीकरण की कार्यवाही इस प्रकार है :

विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी ने 04.11.2022 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित जानकारी और उनके समक्ष रखे गए अभिलेखों पर विचार किया :

विलफुल डिफॉल्ट के आधार

इकाई/कंपनी की कार्रवाई, जो कि विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित चार कार्रवाइयों में से एक है/हैं	इकाई/कंपनी की कार्रवाई को साबित करने वाले कारण और साक्ष्य तथा विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित करने के औचित्य का समर्थन भी करते हैं
2.1.3(बी) : निधियों का डायवर्जन : उप–धारा 2.2.1(बी) : उधार ली गई निधियों को उन उद्देश्यों/गतिविधियों या परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए नियोजित करना, जिनके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था। उप–धारा 2.2.1(डी) : ऋणदाता बैंक या संघ के सदस्यों के अलावा किसी अन्य बैंक के माध्यम से ऋणदाता की पूर्व अनुमति के बिना निधियों का मार्ग निर्धारण।	**दिनाँक 06.12.2019 के धोखाधड़ी नोट में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं :** ✓ अनंतलोक शाखा द्वारा 24.02.2014 को डी–11, सेक्टर ए–2, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद में स्थित संपत्ति के ईएम के समक्ष एबी ट्रेड के तहत उक्त उधारकर्ता को 2.00 करोड़ रुपये की एक सीसी सीमा स्वीकृत की गई थी। उक्त संपार्श्विक प्रतिभूति पहले से ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास 26.09.2009 को 1.40 करोड़ रुपये का एक ऋण प्राप्त कर और पंजाब एंड सिंध बैंक के पास अप्रैल 2012 में मैसर्स उज्ज्वला फ्लोर मिल्स के नाम पर 0.50 करोड़ रुपये का एक ऋण प्राप्त कर बंधक रखी गई थी। ✓ प्रस्तावित अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन, एनईसी तथा बंधक रखने की अनुमति मैसर्स उज्ज्वला फ्लोर मिल्स के नाम पर जारी की गई थी, लेकिन ऋण मैसर्स उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज के नाम पर, यह साधारण शपथपत्र लेने के बाद कि उज्ज्वला फ्लोर मिल्स तथा उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज एक ही तथा समान हैं, स्वीकृत किया गया था। ✓ उल्लिखित ऋणी के खातों को यूबीआई तथा पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा क्रमशः 18.11.2011 तथा 30.12.2013 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ✓ इस प्रकार, ऋणी ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है तथा अन्य बैंकों के पास पहले से बंधक रखी गई सम्पत्ति के समक्ष ऋण प्राप्त किया है, जिससे जालसाजी तथा धोखाधड़ी हुई है। ✓ व्यापार एवं कर विभाग का डी.वी.ए.टी. प्रमाण–पत्र तथा यू.पी.डी.आई.सी. प्रमाण–पत्र व्यवसाय का भिन्न स्थान दर्शाता है। ✓ मैसर्स महेश अग्रवाल एंड कंपनी की दिनाँक 17.02.2016 की स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, फर्म के स्टॉक स्टेटमेंट में उल्लिखितानुसार 31.12.2015 के अनुसार स्टॉक और बुक–डेब्ट्स का मूल्य 2.52 करोड़ रुपये है। हालाँकि, 01.01.2016 से 27.02.2017 तक की अवधि यानी एनपीए की तिथि के लिए खाते में क्रेडिट टर्नओवर केवल 0.31 करोड़ रुपये है, जिससे बिक्री अन्य बैंक के खाते के माध्यम से हो रही है। ✓ इसके अतिरिक्त, फर्म ई–ओबीसी, बुराड़ी शाखा के साथ खाता बनाए हुए थी और 01.01.2013 से 18.12.2013 की अवधि के दौरान इसका क्रेडिट टर्नओवर 11.13 करोड़ रुपये था। दिनाँक 31.03.2015 की बैलेंस शीट में दिखाई गई बिक्री 11.68 करोड़ रुपये थी, लेकिन आय हमारे खाते के माध्यम से नहीं हुई है। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया गया है कि उधारकर्ता फर्म और इसके स्वामी ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और जालसाजी और धोखाधड़ी के माध्यम से उस संपत्ति को गिरवी रख दिया है जो पहले से ही कुछ अन्य बैंकों के पास गिरवी थी और उसी प्रतिभूति के समक्ष कई वित्त सुविधायें प्राप्त कीं, जिससे बैंक को धोखा दिया गया और ऋणदाता बैंक से पूर्व अनुमति के बिना अन्य बैंक के साथ खोले गए खाते से बिक्री की गई, जिससे बैंक के धन का डायवर्ट/गबन हुआ।

समिति ने विचार–विमर्श के बाद प्रस्तुत साक्ष्यों/सामग्री अभिलेखों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकाला कि उधारकर्ता फर्म मैसर्स उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज और इसके स्वामी श्री एस. मनमोहन सिंह को 2.2.1 (बी) और 2.2.1 (डी) के साथ पठित धारा 2.1.3 (बी) के अनुसार निधियों के डायवर्जन और दिनाँक 01.07.2015 को आरबीआई मास्टर सर्कुलर के खण्ड 2.1.3 (सी) के अनुसार निधियों के गबन के लिए विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और उपरोक्त आधारों पर कारण बताओ सूचना जारी करने के लिए अनुमोदन किया गय है।

एससीएन जारी करना और इसका प्रत्युत्तर :

एसएएम दीर्घ शाखा दिल्ली द्वारा दिनाँक 17.03.2023 को पत्र के माध्यम से कारण बताओ सूचना भेजी गयी और वे कुछ सूचनायें उधारकर्ताओं को नहीं दी गयीं / उन्हें वितरित नहीं हुयी थीं, अतः 30.03.2023 को पेपर प्रकाशन किया गया।

हमारी कारण बताओ सूचना दिनाँक 17.03.2023 और समाचार पत्र प्रकाशन दिनाँक 30.03.2023 के समक्ष उधारकर्ता / स्वामी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

दिनाँक 07.10.2023 को आयोजित विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक :

उधारकर्ता/भागीदारों/गारंटरों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के बैंक के आरोप/आरोप के समर्थन में विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी (डब्ल्यूडीएससी) के समक्ष रखे गए तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन, विश्लेषण और जांच की गई।

समिति ने दर्ज किया कि उधारकर्ता फर्म मैसर्स उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज और इसके स्वामी श्री एस. मनमोहन सिंह ने 17.03.2023 की कारण बताओ सूचना (एससीएन) और 30.03.2023 के पेपर प्रकाशन का उत्तर नहीं दिया है, जिसमें उल्लिखित आरोपों को संबोधित किया गया है। समिति ने पाया कि उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित न करने के लिए वे अपने विचार व्यक्त करने में रुचि नहीं रखते हैं और यह एससीएन में उल्लिखित आरोपों को स्वीकार करने के समान है। इसके अलावा, चूंकि उधारकर्ता ने एससीएन का जवाब नहीं दिया है, इसलिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं मिलता है।

इसके बाद, उचित विचार–विमर्श और रिकॉर्ड के अनुसार, विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से एक आदेश पारित किया है, जिसमें उधारकर्ता फर्म मैसर्स उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज और इसके स्वामी श्री एस. मनमोहन सिंह को दिनाँक 01.07.2015 को विलफुल डिफॉल्टर पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर की धारा 2.2.1 (बी) और 2.2.1 (डी) के साथ पठित 2.1.3 (बी) के अनुसार निधियों के डायवर्जन और धारा 2.1.3 (सी) के अनुसार निधियों के गबन के लिए विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है।

दिनाँक 07.10.2023 को आयोजित बैठक में पारित विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी का आदेश और इसका प्रत्युत्तर :

बैंक की एनपीए प्रबंधन नीति 2023–24 के प्रावधान के अनुसार दिनाँक 07.10.2023 को आयोजित बैठक में पारित विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी का आदेश, दिनाँक 02.12.2023 को शाखा द्वारा उधारकर्ता को प्रेषित किया गया। चूँकि इसे ठीक से तामील नहीं किया गया था, इसलिए डब्ल्यूडीएससी आदेश दिनाँक 14.12.2023 को समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। जिसके लिए उधारकर्ता की ओर से कोई उत्तर / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

विलफुल डिफॉल्टर रिव्यू कमेटी – दिनाँक 29.04.2024 को बैठक :

विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी (डब्ल्यूडीएससी) का दिनाँक 07.10.2023 का आदेश समीक्षा और आगे के आदेशों के लिए विलफुल डिफॉल्टर रिव्यू कमेटी के समक्ष रखा गया।

ऊपर उल्लिखित अवलोकन स्पष्ट रूप से दिनाँक 01.07.2015 के विलफुल डिफॉल्टर पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर की धारा 2.2.1 (बी) और 2.2.1 (डी) के साथ पठित धारा 2.1.3 (बी) के अनुसार निधियों के डायवर्जन तथा धारा 2.1.3 (सी) के अनुसार निधियों की हेराफेरी को इंगित करता है।

विलफुल डिफॉल्टर रिव्यू कमेटी ने 29.04.2024 को आयोजित अपनी बैठक में समीक्षा की और विचार–विमर्श किया कि उधारकर्ता ने सूचना के माध्यम से सूचना के बाद भी डब्ल्यूडीएससी के आदेश के विरुद्ध प्रत्युत्तर नहीं दिया / अभ्यावेदन नहीं किया है। इस प्रकार विलफुल डिफॉल्टर रिव्यू कमेटी ने डब्ल्यूडीएससी के दिनाँक 07.10.2023 के आदेश की पुष्टि की, जिसमें उधारकर्ता फर्म मैसर्स उज्ज्वला फूड इंडस्ट्रीज और इसके स्वामी श्री एस. मनमोहन सिंह को तथ्यों / साक्ष्यों / भौतिक दस्तावेजों पर विचार करने के बाद दिनाँक 01.07.2015 के विलफुल डिफॉल्टर पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर के अनुसार धारा 2.2.1 (बी) और 2.2.1 (डी) के साथ पठित धारा 2.1.3 (बी) के अनुसार निधियों के डायवर्जन और 2.1.3 (सी) के अनुसार निधियों के गबन के लिये विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, हम एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि विलफुल डिफॉल्टर रिव्यू कमेटी ने आप सभी को "विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में वर्गीकृत किया है।

इस प्रकार, बैंक अगले माह के 7 दिनों के भीतर आरबीआई / सीआईसी के अनुसार आपके विवरणों के बारे में आपको सूचित करने के लिए अग्रकार्रवाई करेगा।

आपका विश्वासपात्र,
शाखा प्रबंधक
विलफुल डिफॉल्टर रिव्यू कमेटी की ओर स